न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

पीठासीन अधिकारी श्री मंगलाराम पूनिया, आर.ए.एस.

2020-00258RAAPali2020-62RTA225 Bhagwanram Ors Vs Punamaram etc

01. भगवानाराम पुत्र श्री प्रहलाद
02. सुण्डाराम पुत्र श्री भीयाराम
दोनो जातियान् विश्नोई, निवासीगण- केरिया,
तहसील चितलवाना, जिला जालोर।

अपीलाण्ट्स ...

ब

ना

म

1. पुनमाराम पुत्र श्री पाबुराम
2. मांगीलाल पुत्र श्री भीयाराम
3. पारु पत्नी भीयाराम
4. कुनणी देवी पत्नी भगवानाराम
5. धोलाराम पुत्र फुसाराम
6. रुपादेवी पत्नी फुसाराम
7. मांगीलाल पुत्र पाबुराम
सभी जातियान् विश्नोई, निवासीगण- केरिया, तहसील चितलवाना, जिला जालोर।
8. व्यवस्थापक आरएमजीबी बैंक केरिया।
9. व्यवस्थापक बैंक ऑफ बड़ौदा सांचोर।
10. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार चितलवाना।

रेस्पो. ...

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बरखिलाफ आदेश दिनांक 22 दिसंबर 2020 सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, चितलवाना, राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 20/2020 पुनमाराम बनाम मांगीलाल इत्यादि

उपस्थित-
श्री पारसमल बाराड़ा, अधिवक्ता-अपीलाण्ट्स
श्री भेराराम अधिवक्ता-रेस्पो. संख्या एक से तीन, छः व सात,

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

नि र्ण य

दिनांक : 14 जुलाई 2023

अपीलाण्ट ने सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी चितलवाना द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 20/2020 पुनमाराम बनाम मांगीलाल इत्यादि में पारित आदेश दिनांक 22 दिसंबर 2020 के खिलाफ आलौच्य अपील अदालत हाजा के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 225 के तहत दिनांक 29 दिसंबर 2020 को प्रस्तुत की है।

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि रेस्पोडेंट संख्या एक ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251-ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत कर अपने खातेदारी खेत खसरा नं. 58, 59 व 60 ग्राम केरिया तहसील चितलनवाना में आने-जाने हेतु अपीलांट्स एवं अन्य रेस्पो./अप्रार्थीगण के खातेदारी खसरा नं. 65 में से रास्ता चाहा। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 22 दिसंबर 2020 के जरिये प्रार्थी/रेस्पोडेंट संख्या एक का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर लिया गया, जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट्स ने आलौच्य अपील प्रस्तुत की है।

बहस सुनी गई। अधिवक्ता-अपीलाण्ट्स ने लिखित बहस में तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट्स को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना अपीलाधीन आदेश पारित कर रास्ता प्रदान किया है। तहसीलदार को मौके पर मौका फर्द बनाने हेतु आदेश दिया, तब भू-अभिलेख निरीक्षक केरिया एवं पटवारी केरिया द्वारा दिनांक 17.11.2020 को ऑफिसियली एक मौका रिपोर्ट केवल मात्र डी.एल.सी. रेट की बनाई गई, मौके पर किसी भी पक्षकार को सूचना नही दी एवं न ही नोटिस भेजे गये, मात्र प्रार्थी व अन्य गवाहों

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

के हस्ताक्षर करवाये गये। मुझ अपीलांट के एवं अन्य समस्त खातेदारों के हस्ताक्षर नही करवा कर एकपक्षीय मौका रिपोर्ट बनाई गई जो धारा 251-ए के प्रावधानों के विपरीत होने से मान्य नहीं है। धारा 69 में स्पष्ट प्रावधान है कि प्रभावित व्यक्ति या पक्षकार में सें कोई भी रास्ता कायम किया जाता है तो उस पक्षकार को मौका फर्द पर फर्द बनाते समय उपस्थिति आवश्यक है, लेकिन उनको नहीं बुलाकर कानून के विपरीत जाकर एकपक्षीय मौका रिपोर्ट बनाई है। अपीलांट द्वारा दिनांक 16.12.2020 को पुनः मौका जांच बनाने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया जो दिनांक 22.12.2020 का मौका रिपोर्ट मंगवाने हेतु प्रार्थना पत्र का कोई औचित्य नहीं होने से खारिज किया गया है, जबकि ऐसा कर धारा 69 के प्रावधानों के विपरीत जाकर निर्णय पारित किया है जो खारिज योग्य है। प्रार्थी-रेस्पोडेंट संख्या एक अपने खेत खसरा नं. 60 में आने जाने हेतु अपने भाई चोखा पुत्र प्रहलाद के खातेदारी खेत खसरा नं. 63 में से जागीरी के समय से आवागमन करते है एवं जागीरी के समय से उक्त रास्ता आज भी मौके पर चालू है। अपीलांट की रहवासीय ढाणी को तोड़ने के उद्धेश्य से प्रार्थना पत्र पेश कर निर्णित किया है जो खारिज योग्य है। अपीलांट की खातेदारी खेत खसरा नं. 65 में अधिकतम 40 मीटर दूरी है, जबकि खसरा नं. 64 में सबसे कम 32 मीटर दूरी है, जहां से रास्ता दिये जाने से खातेदार को कम से कम भमि का रास्ता हेतु दिये जाने की आवश्यकता रहती है। अपीलांट के खातेदारी खेत मे जबरन रास्ता निकालने हेतु रेस्पोडेंट ने खातेदारी की भूमि में स्थित ढाणी में दिनांक 17.06.2021 को रात्रि 08: 00 बजे आग लगाकर तहस-नहस कर भारी नुकसान कारित किया है, जिसका पुलिस थाना चितलवाना में सी.आर. नंबर 106/2021 अन्तर्गत धारा 435, 427, 201/34 आई.पी.सी. का मुकदमा दर्ज है जो अभी न्यायालय में विचाराधीन है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

दिनांक 07.07.2020 की मौका फर्द के अनुसार खसरा नं. 65 भगवानाराम की कब्जा काश्त एवं मौके पर रहवासीय ढाणी बनी हुई है, जिस पर आगजनी की घटना रेस्पोडेंट संख्या एक व उनके सहयोगीयों ने कारित की है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश धारा 251-ए व धारा 69 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम सरकारी नियम के दोनो प्रावधानों के विरुद्ध जाकर नियमों की गौर अवहेलना कर पारित किया है।

अंत में अपीलांट के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी चितलवाना द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 20/2020 पुनमाराम बनाम मांगीलाल इत्यादि में पारित आदेश दिनांक 22 दिसंबर 2020 को खारिज फरमाया जावे।

जबाब में अधिवक्ता रेस्पो. ने अपीलाधीन आदेश का समर्थन करते हुए कथन किया रेस्पोडेंट संख्या एक के आवागमन हेतु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पक्षकारान् को कम नुकसान हो इस आधार पर तहसीलदार चितलवाना से प्राप्त मौका रिपोर्ट के आधार पर विधिसम्मत रास्ता दिया है। विचारण न्यायालय द्वारा तलब मौका रिपोर्ट में अपीलाधीन रास्ते को ही निकटतम दूरी वाला बताया गया है। विचारण न्यायालय द्वारा मौका फर्द के आधार पर अपीलांट द्वारा प्रस्तुत आपत्तियो का निस्तारण करते हुए लघुतम एवं निकटतम रास्ते का आदेश पारित किया है। अतः प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज की जावे।

बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपान्त गम्भीरतापूर्वक अध्ययन किया गया। विचारण न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन मुताबिक अपीलांट पर सम्मन की सम्यक तामील होने पर उसके द्वारा विचारण न्यायालय समक्ष जरिये अधिवक्ता उपस्थित होकर

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

अपना जवाब प्रस्तुत किया जाना पाया जाता है। मौका फर्द दिनांक 17.11.2020 में रेस्पोडेंट संख्या एक के आवागमन हेतु अपीलाधीन रास्ते को ही नजदीक एवं निकटतम रास्ता बताया गया है तथा उक्त रास्ते के अलावा अन्य कोई निकटतम रास्ता उपलब्ध नहीं होना बताया गया है।

जहां तक अपीलांट का उज्र है कि विचारण न्यायालय द्वारा तलब मौका रिपोर्ट उनकी अनुपस्थिति में तैयार की गई तथा उसको सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया गया, इस संबंध में विचारण न्यायालय की पत्रावली से अवलोकन से स्पष्ट होता है कि अपीलांट द्वारा मौका रिपोर्ट पर आपत्तियॉ प्रस्तुत की गई, जिसे विचारण न्यायालय द्वारा उभय पक्ष को सुनवाई का अवसर देते हुए आपत्तियॉ निस्तारित की गई, जिससे अपीलांट का यह उज्र समाप्त हो जाता है।

ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उभय पक्ष की समुचित सुनवाई उपरांत लघुतम एवं निकटतम रास्ते का आदेश पारित किये जाने से उसमें हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी चितलवाना द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 20/2020 पुनमाराम बनाम मांगीलाल इत्यादि में पारित आदेश दिनांक 22 दिसंबर 2020 यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

14.07.2023

(मंगलाराम पूनिया)
प्रथम लिंक अधिकारी
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली